UPET010031472026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–02, एटा.

उपस्थितः निशान्त शैव्य, **"HJS."**

Criminal Revision N0: 127/2026

निर्मला उम्र करीब 24 वर्ष पत्नी स्व0 दुर्गेश कुमार निवासी नगला राजा पोस्ट वसुन्धरा थाना अवागढ़ जिला एटा।

..रिवीजनिष्ट/प्रार्थिया

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एटा।
2. प्रवेश कुमार उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र मौहरपाल
3. मौहरपाल उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र विजय सिंह
4. भगवान सिंह उम्र करीब 57 वर्ष पत्नी मौहरपाल
5. सुनीता उम्र करीब 32 वर्ष पत्नी प्रवेश कुमार
   नि0गण नगला राजा पोस्ट वसुन्धरा थाना अवागढ़ जिला एटा।

–विपक्षीगण/उत्तरदाता

नि र्ण य

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, प्रार्थिया/पुनरीक्षणकर्ता निर्मला द्वारा न्यायालय सिविल (जू0डि0) जलेसर एटा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 संख्या–13/2026 निर्मला बनाम प्रवेश कुमार आदि को विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने एवं उक्त प्रकरण को पारिवारिक विवाद होने के कारण पत्रावली को मध्यस्थता केन्द्र भेजे जाने के आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थिया/पुनरीक्षणकर्ता ने यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

2- प्रार्थिया द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 संख्या– 13/2026 निर्मला बनाम प्रवेश कुमार आदि इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 21.07.2019 को दुर्गेश कुमार पुत्र मौहरपाल निवासी नगला राजा (बसुन्द्रा), थाना–अवागढ़, जिला–एटा के साथ हुई थी। प्रार्थिया अपने पति के साथ हंसी–खुशी से अपनी ससुराल में रह रही थी इसी दरम्यान प्रार्थिया ने अपने पति

Digitally signed by NISHANT SHAIVA
Date: 2026.08.25 06:33:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दुर्गेश कुमार के संसर्ग से एक पुत्र यश को जन्म दिया जो इस समय करीब 5 वर्ष का है। दिनांक 09.09.2022 को प्रार्थिया के पत्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गयी। उसके बाद भी प्रार्थिया अपनी ससुराल में ही अपने सास–ससुर की सेवा करते हुए ससुराल में ही रहती रही, परन्तु इसी दौरान प्रार्थिया के जेठ प्रवेश कुमार की प्रार्थिया पर नियत खराब हो गई और आये दिन शराब पीकर प्रार्थिया के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। उसके बाद दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 9:00 बजे रात्रि उक्त प्रवेश कुमार शराब पीकर नशे की हालत में प्रार्थिया के घर पर आया और आते ही प्रार्थिया के पुत्र की कनपटी पर तमंचा रख दिया और माँ–बहिन की गालियाँ देते हुए कहा कि अगर साली चिल्लाई तो तेरे पुत्र को जान से मार दूँगा। उसके बाद उक्त प्रवेश कुमार प्रार्थिया को जबरन कमरे में खींचकर ले गया तथा प्रार्थिया के साथ बिना उसकी मर्जी के बलात्कार किया। दिनांक 17.01.2026 को दोपहर 1:00 बजे प्रार्थिया हिम्मत जुटाकर अपनी ससुराल नगला राजा गई तो वहाँ मौजूद प्रार्थिया ने अपने ससुर मौहरपाल पुत्र विजय सिंह व सास भगवान देवी पत्नी मौहरपाल व जिठानी सुनीता पत्नी प्रवेश कुमार को सारी बात बतायी तो उक्त सभी लोग आग बबूला हो गये तथा प्रार्थिया को बुरी–बुरी गालियाँ देते हुए मारपीट कर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद प्रार्थिया उसी दिन अपनी रिपोर्ट लिखाने पुलिस चौकी बसुन्धरा, थाना–अवागढ़ गई तो यहाँ मौजूद पुलिस वालों ने कहा कि हम जाँच करेंगे उसके बाद कोई कार्यवाही करेंगे। उसके बाद प्रार्थिया कई बार पुलिस चौकी बसुन्धरा गई तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों द्वारा कहा गया कि गाँव में तेरी कोई गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा कोई मुकद्दमा नहीं लिखा जायेगा। प्रार्थिया निर्मला ने एक प्रार्थना पत्र टाइपशुदा दिनांकित 22.01.2026 को श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को रजिस्ट्री किया, परन्तु फिर भी अभी तक उपरोक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की। जिस कारण प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3- प्रार्थिया/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 संख्या–13/2026 निर्मला बनाम प्रवेश कुमार आदि को विचारण न्यायालय द्वारा इस आशय से परिवाद के रूप में दर्ज किया कि प्रार्थिया एवं गवाहों को मामलें की समस्त जानकारी है, तथा कोई भी ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। जिस आधार पर प्रार्थिया/पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना पत्र को परिवार के रूप में दर्ज

किया गया एवं पत्रावली मध्यस्थता केन्द्र भेजी गयी।

4. यह दाण्डिक पुनरीक्षण से इस आधार पर योजित की गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2026 विधिक व व्याय की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा थाना अवागढ़ से आख्या तलब की गयी, जिस पर थाने से यह आख्या आयी कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, फिर भी अवर न्यायालय द्वारा उक्त मामले की विवेचना कराने का आवेश पारित करने की बजाये मामले को परिचाव के रूप में पंजीकृत कर पत्रावली को सुलह समझौता केन्द्र भेज दिया जो न्याय की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अपने जुडीशियल माइण्ड का प्रयोग न कर जल्दबाजी में आदेश पारित करके गलती की है। प्रार्थिया रिवीजनिष्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—173 (4) बी०एन०एस०एस० की मद सं०—4 में वर्णित दिनांक 12.12.2025 को समय करीब 9:00 बजे रात्रि प्रार्थिया रिवीजनिष्ट का जेठ प्रवेश कुमार शराब पीकर नशे की हालत में प्रार्थिया रिवीजनिष्ट के घर पर आया और आते ही प्रार्थिया/रिवीजनिष्ट के पुत्र की कनपटी पर तमंचा रख दिया और माँ—बहिन की गालियाँ देते हुए कहा कि अगर साली चिल्लाई तो तेरे पुत्र को जान से मार दूंगा फिर उक्त प्रवेश कुमार प्रार्थिया/रिवीजनिष्ट को जबरन कमरे में खींचकर ले गया तथा प्रार्थिया रिवीजनिष्ट के साथ बिना उसकी मर्जी के बलात्कार किया और जाते समय धमकी दे गया कि अगर किसी को बताया तो तेरे पुत्र को जान से मार दूंगा। इस तथ्य पर भी माननीय अवर न्यायालय ने कोई गौर न करके भारी कानूनी भूल की है। विपक्षीगणों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से अपराध बनता है, जिसके फलस्वरूप अवर न्यायालय द्वारा उक्त मामले में विवेचना का आदेश पारित किया जाना विधि सम्वत् था जो अवर न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। लोअर कोर्ट द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। लोअर कोर्ट रिकॉर्ड तलब कर रिवीजन स्वीकार किया जावे एवं लोअर कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांकित—17.03.2026 निरस्त करने की याचना की गयी है।

5— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया गया।

6. पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिया द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण 2 ल0 5 पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के है, जिसमें बलात्कार जैसा जघन्य अपराध भी सम्मिलित है। अतः मामले की विवेचना पुलिस द्वारा कराया

जाना आवश्यक है। इसी आधार पर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. राज्य की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, परन्तु मौखिक रूप से कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। प्रार्थिया के संज्ञान में समस्त तथ्य है, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पुलिस द्वारा किसी विवेचना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थिया अपने बयान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद में दर्ज करा सकती है। इसी आधार पर प्रस्तुत पुनरीक्षण को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अन्य विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

8. प्रार्थिया/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में इस तथ्य का कोई अंकन नहीं है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना किस कारण से करायी जानी चाहिए, ना ही इस विषय में कोई मौखिक तर्क दिया गया है। केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर पुलिस विवेचना की मांग की गयी है। जबकि समस्त तथ्य व साक्ष्य प्रार्थिया के संज्ञान में है। घटना सन् 2019 की बतायी गयी है, प्रार्थिया एक विवाहिता स्त्री है। अतः इन परिस्थितियों में प्रार्थिया के चिकित्सीय परीक्षण का भी कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थिया के बयान परिवादिनी के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज किये किये जा सकते है। प्रार्थिया की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य [AIR 2014 S.C. 187] में पारित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी। परन्तु यह विधि व्यवस्था प्रार्थिया का सहयोग नहीं करती है, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जिसमें वादिया अपना पक्ष रख सकती है।

9. उपरोक्त विमर्श के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.03.2026 में परिवाद दर्ज किये जाने के आदेश में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। परन्तु प्रस्तुत मामले में गंभीर आरोप, जो कि शमनीय नहीं है, होने के बावजूद मामले को मध्यस्थता केन्द्र में सुलह समझौते के लिए प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। प्रश्नगत आदेश से मामले को मध्यस्थता केन्द्र प्रेषित किया जाने वाला आदेश का अंश निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आ दे श

प्रार्थिया/पुनरीक्षणर्ता की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0—127/2026 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.03.2026 का, मामले को मध्यस्थता केन्द्र प्रेषित किये जाने वाला अंश अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय का शेष आदेश पुष्ट किया जाता है। अभिलेख इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अविलम्ब अवर न्यायालय को वापस किया जाय।

उभय पक्ष दिनांक 14.09.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय में, प्रस्तुत मामले में, अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

दिनांकः
<u>25.08.2026</u>

(निशान्त शैव्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—2, एटा.
J.O.code U.P. 2743

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(निशान्त शैव्य)
<u>25.08.2026</u>
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0—2, एटा.
J.O.code U.P. 2743